(5)

अनुसूची 14-- फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी........................संख्या–................ 02........................सन् 2018–19

केश का प्रकार ....**बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण वाद**

अर्जीकार– **सरकार** प्रतिपक्षी:– **शत्रुघ्न राय**

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
21.8.18	प्रस्तुत वाद जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक–40511–08242 दिनांक–19.04.2016 अनन्य संख्या–999957915031801746 परिवादकर्ता श्री रवि कुमार गुप्ता,ग्राम–सतधारा पोस्ट–सतधारा, प्रखण्ड राजनगर के आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी को पक्ष रखने का अवसर दिया गया। परिवादकर्ता श्री रवि कुमार गुप्ता ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी को परिवाद आवेदन दिया कि शत्रुघ्न राय पिता स्व0 झिंगुर राय ग्राम+पोस्ट–सतधारा, राजनगर, मधुबनी द्वारा मौजा–सतधारा राजनगर, थाना नं. 197 के अंतर्गत अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किए हुए जमीन, जो सी0एस0खतियान के अनुसार सरकारी है। अतिक्रमणकारी ने बंदोवस्ती का जालिया कागजात बनाकर अंचल को धोखे में रखकर इसका जमाबंदी कायम कराया है। सी0एस0खतियान और पुराने खतियान में सरकारी एवं नये सर्वे खतियान में अनाबाद सर्व साधारण दर्ज है। जमाबंदी में वर्णित पुराना खाता संख्या–364 के पुराना खेसरा संख्या–1324 नदी 1033, 1034 किस्म व रैयती का नाम–गैरमजरूआ खास दर्ज है एवं पुराना खाता संख्या–365 पुराना खेसरा–987 (रास्ता) 1035 (परती कदीम) किस्म व रैयती का नाम गैर मजरूआ आम दर्ज है। जिसका रसीद अंचल राजनगर द्वारा निर्गत किया गया, जिसका जमाबंदी नंबर 1059 / 1069 और कुल रकवा 3 कट्ठा 11 धुर 8 कनमा है। उक्त जमाबंदी को रद्द करने की दिशा में पहल करने का अनुरोध किया गया। परिवाद पत्र की प्रति जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधुबनी ने इस न्यायालय में कार्रवाई हेतु भेजा। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के उपरोक्त पत्र के आधार पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी एवं परिवादकर्ता को पक्ष रखने का अवसर दिया गया। प्रतिपक्षी के रूप में श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उर्फ शत्रुघ्न राय पिता झिंगुर राय साकिन+पोस्ट–सतधारा राजनगर थाना–राजनगर, जिला–मधुबनी की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन पक्ष रखा गया। परिवादकर्ता श्री रवि कुमार गुप्ता, ग्राम–गांधी चौक, राजनगर ने भी स्वयं अपना पक्ष के रूप में रिविजनल सर्वे खतियान की छाया प्रति एवं अंचल अधिकारी, राजनगर द्वारा इनफोरमेशन में उपलब्ध करायी गयी सूचना की छाया प्रति प्रस्तुत किया। **प्रतिपक्षी शत्रुघ्न राय की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन का मुख्य अंश:–** 1– जमाबंदी 1059 में कुल 3 कट्ठा 11 धुर 8 कनमा का रसीद शत्रुघ्न राय के नाम से कई वर्षो से कटता आ रहा है जो वर्ष 2016–17 तक कटा है। उक्त जमाबंदी को किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जा सकता। 2– विपक्षी के पिता झिंगुर राय के नाम से महाराजाधिराज दरभंगा के राजनगर इस्टेट के मालिक विशेश्वर सिंह साहब से बजरिये बंदोवस्ती दिनांक–2 / 3 / 40 जिसका परवाना नं. 911 वो खेसरा नं. 1031 पुराना रकवा 5 धुर वो खेसरा नं. 987 पुराना रकवा 10 धुर वो खेसरा नं. 1035 रकवा 1 कट्ठा 1½ धुर कुल 1 कट्ठा 16½ धुर है जिसका चालान संख्या–711 दिनांक–01.02.1940 से सलामी जमा हुआ। जमाबंदी नं. 1059 का मालगुजारी भूतपूर्व जमींदार के सिरिस्ता से हासिल होता आया।	CHM 5517 5/8/8 CHM 3011 25/8/18

3– बंदोवस्ती के प्रमाण में राजनगर इस्टेट के सिरीस्ता से तरमीन हुआ जिससे स्पष्ट होगा कि प्रतिपक्षी के पिता के नाम से भूतपूर्व जमीदार द्वारा बंदोवस्ती की गयी। पिता की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी का दखल कब्जा चला आ रहा है।

4– जमाबंदी संख्या–1059 में कुल रकवा 3 कट्ठा 11 धुर 8 कनमा में से बंदोवस्ती से भूतपूर्व जमींदार से 1 कट्ठा 16½ धुर एवं बांकी जमीन बिहार सरकार से बन्दोवस्ती से हासिल है।

5– बिहार सरकार द्वारा बंदोवस्ती दिनांक–20.05.72 को उप समाहर्ता, भूमि सुधार, मधुबनी के द्वारा स्वीकृत होकर बंदोवस्ती की गई तथा उसका लगान रसीद जमाबंदी नं.–1059 में लगान लेकर निर्गत किया गया है।

6– विपक्षी ने किसी सरकारी भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि बिहार सरकार की जो जमीन विपक्षी के दखल में है, वह बिहार सरकार से बन्दोवस्ती से हासिल जमीन है।

7– 1972 में बिहार सरकार वो 1940 में भूतपूर्व जमींदार द्वारा की गई बंदोवस्ती को किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जा सकता है।

विपक्षी ने अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में साक्ष्यों की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया एवं आपत्ति पत्र में लिखी बातों के संबंध में नोटरी से प्राप्त शपथ पत्र संलग्न किया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न की गई है।

अंचल अधिकारी, राजनगर की ओर से प्रस्तुत पक्षः–

अंचल अधिकारी, राजनगर ने अपने पत्रांक–722 दिनांक–15.06.18 द्वारा जमाबंदी संख्या–1059 रकवा 0–3–11–8 से संबंधित अभिलेख संख्या–3/18–19 जमाबंदी रद्द करने हेतु भेजा। अभिलेख में सी0एस0खतियान का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	नवैयत
मिर्जापुर	364	1324	8–1–10	गैर मजरूआ खास
		1033	0–0–5	तदैव
		1034	0–0–5	तदैव
	365	987	0–2–10	गैर मजरूआ आम
		1035	0–17–13	तदैव

आदेशफ्लुक में लिखा गया है कि उपरोक्त भूमि में से श्री शत्रुघ्न राय पिता स्व0 झींगूर राय ग्राम–सतधारा द्वारा जमाबंदी संख्या–1059 रकवा 0–3–11–8 का अवैध जमाबंदी के आधार पर जमीन दखल किये हुए है तथा जमाबंदी निरस्त करने का अनुशंसा किये हैं।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की रायः–

प्रश्नगत जमीन मौजा–सतधारा से संबंधित है इसके अलावा विपक्षी ने मौजा–सतधारा से सटे **मौजा–मिर्जापुर की भी कुछ सरकारी जमीन का अतिक्रमण किये हुये हैं जिसमें नहर भी शामिल है।** इस जमीन का स्वरूप अंचल सी0एस0खतियान में और पुराने खतियान में नये सर्वे खतियान में अनाबाद सर्व साधारण दर्ज है। जमाबंदी में वर्णित पुराना खाता–364 के पुराना खेसरा–1324 नदी 1033, 1034 किस्म व **रैयत का नाम गैरमजरूआ आम दर्ज है।** जमाबंदी नं. 1059/1069 कुल रकवा 3 कट्ठा 11 धूर 8 कनमा है। पुराना खाता–305 पुराना खेसरा–987 रास्ता, 1035 परती कदीम किस्म व रैयती का नाम गैर मजरूआ आम दर्ज है। विपक्षी ने कागजात का जाल बनाकर जमाबंदी अंचल अमला को मेल वो दाम में लाकर कायम करवा लिया है जो सर्वथा अनुचित एवं गलत है। सरकारी जमीन की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी एवं सरकारी जमीन का उपयोग जनकल्याण कार्यों के लिए होना चाहिए। विपक्षी के नाम कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने की कृपा की जाय।

निष्कर्षः–

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक–40511–08242 दिनांक–19.04.2016 अनन्य संख्या–999957915031801746 परिवादकर्ता श्री रवि कुमार गुप्ता,ग्राम–सतधारा पोस्ट–सतधारा, प्रखण्ड राजनगर के आवेदन, अंचल अधिकारी,

राजनगर द्वारा प्रस्तुत पक्ष, प्रतिपक्षी का आपत्ति/पत्र एवं लिखित बहस तथा साक्ष्य के रूप में समर्पित विभिन्न साक्ष्यों का अवलोकन एवं परिसिलन किया।

अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की लिखित राय से मैं सहमत हूँ। अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के संरक्षक हैं। जिन्होंने अंचल अभिलेख के अनुसार प्रतिवेदित किया है कि श्री शत्रुघ्न राय पिता स्व0 झींगूर राय ग्राम–सतधारा द्वारा जमाबंदी संख्या–1059 रकवा 0–3–11–8 का अवैध जमाबंदी के आधार पर जमीन दखल किये हुए है जमाबंदी निरस्त करने का अनुशंसा किये हैं। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता की राय है कि पुराने खतियान एवं नये सर्वे खतियान में अनाबाद सर्व साधारण दर्ज है। **जमाबंदी में वर्णित पुराना खाता–364 के पुराना खेसरा–1324 नदी 1033, 1034 किस्म व रैयत का नाम गैरमजरूआ आम दर्ज है।** जमाबंदी नं. 1059 कुल रकवा 3 कट्ठा 11 धूर 8 कनमा है। पुराना खाता–305 पुराना खेसरा–987 रास्ता, 1035 परती कदीम किस्म व **रैयत का नाम गैर मजरूआ आम दर्ज है।** विपक्षी ने कागजात का जाल बनाकर जमाबंदी अंचल अमला को मेल वो दाम में लाकर कायम करवा लिया है जो सर्वथा अनुचित एवं गलत है। **सरकारी जमीन की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी एवं सरकारी जमीन का उपयोग जनकल्याण कार्यो के लिए होना चाहिए।**

यह स्पष्ट है कि गैर मजरूआ आम भूमि की बंदोवस्ती करने का अधिकार न तो भूतपूर्व जमींदार को था और न ही अंचल अधिकारी को इसके लिए बिहार सरकार सक्षम प्राधिकार हैं। **अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी ने सरकारी खाते की जमीन का जमाबंदी नं. 1059 कुल रकवा 3 कट्ठा 11 धूर 8 कनमा का अवैध जमाबंदी के आधार पर जमीन दखल किये हुए है अतः अंचल अधिकारी, राजनगर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता के लिखित राय के आधार पर सरकारी खाते की भूमि का रैयत के नाम कायम अवैध प्रश्नगत जमाबंदी को रद्द किया जाता है।** आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, राजनगर को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से पक्षकारों को आदेश से अवगत करा दें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है।

लेखापित

21/8/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

21/8/18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

पत्रांक 263/... दिनांक 21.8.18
प्रतिलिपि अंचल अधिकारी राजनगर ...
21.8.18